मैनुअल–1

संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य एवं कर्त्तव्य

1.1 ग्रामीण विकास विभाग के उद्देश्य

ग्रामीण विकास से संबंधित नीतियाँ तैयार करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिये केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं निगरानी तथा तकनीकी मार्गदर्शन देना।

1.2 ग्रामीण विकास विभाग का मिशन/विजन

2025 तक ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं का सृजन तथा गरीबी रेखा के नीचे बसर करने वाले सभी परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार कर गरीबी रेखा से ऊपर लाना।

1.3 ग्रामीण विकास विभाग का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रसंग

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वयन हेतु 1952 में सामुदायिक विकास विभाग के रूप में सृजित हुआ। बाद में यह ग्रामीण विकास विभाग के रूप में नामित्त किया गया।

1.4 ग्रामीण विकास विभाग के कर्त्तव्य

ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं का सृजन करना तथा रोजगार का अवसर प्रदान करना तथा गरीबी रेखा के नीचे बसर करने वाले परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना।

1.5 ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य कृत्य

(क) गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों को स्वनियोजन प्रदान करना।
(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को रोजगार मुहैया कराना तथा आधारभूत संरचना का सृजन करना।
(ग) सुखाग्रस्त क्षेत्रों में जल संरक्षण एवं भूमि संरक्षण की योजनाओं का कार्यान्वयन करना।
(घ) बी०पी०एल० परिवारों के गृह विहीन को आवासों का निर्माण एवं उन्नयन।

1.6 ग्रामीण विकास द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूचना एवं उनका संक्षिप्त विवरण

(क) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के माध्यम से रोजगार का अवसर प्रदान करना तथा आधारभूत संरचना का सृजन।
(ख) स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व रोजगार योजना के माध्यम से बी०पी०एल० परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना।
(ग) इन्दिरा आवास योजना के माध्यम से गृह विहीन बी०पी०एल० परिवारों को आवास की सुविधा देना।

(घ) बिहार ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से 23 जिलों में इच्छुक परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार मुहैया कराना।

(ड.) हरियाली योजना के माध्यम से जल एवं भूमि संरक्षण करना।

1.7 ग्रामीण विकास विभाग के विभिन्न स्तरों की ढ़ाचा

(क) राज्य सरकार के मुख्यालय स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग सृजित है।

(ख) जिला स्तर पर 38 जिला ग्रामीण विकास अभिकरण गठित है तथा राज्य में 534 प्रखण्ड गठित है।

(ग) मुख्यालय स्तर पर :–

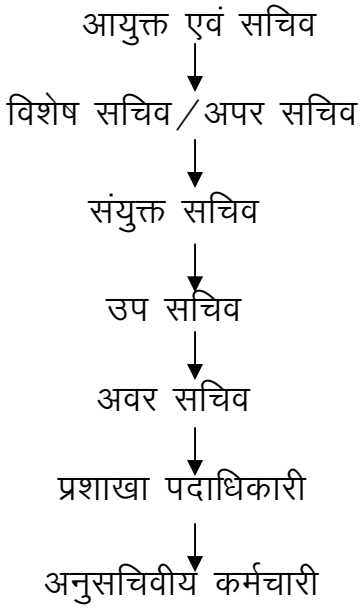

1.8 ग्रामीण विकास विभाग की कार्यदक्षता बढ़ाने हेतु जन सहयोग की अपेक्षाएँ

(क) विभाग के अन्तर्गत ली गई योजनाओं की सूची तथा प्राक्कलित राशि की विवरणी पंचायत, प्रखण्ड तथा जिला परिषद् कार्यालय के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित होती है। इन योजनाओं का कार्यान्वयन सही ढ़ंग से हो रहा है या नहीं, इसके अनुश्रवण के लिए जन–सहयोग की आवश्यकता है।

(ख) पंचायत स्तर पर की जाने वाली योजनाओं का चयन पंचायत के ग्राम सभा द्वारा की जाती है। इन ग्राम सभाओं में भाग ले कर सही योजनाओं का चयन के लिए जन सहयोग की आवश्यकता है।

1.9 जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिये विधि/व्यवस्था

जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं के संबंध में नियमित रूप से जानकारी दी जाती है।

1.10 जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था

सक्षम स्तर के पदाधिकारी द्वारा योजनाओं का अनुश्रवण किया जाता है तथा शिकायतों की जाँच कर उनका निराकरण किया जाता है। जन साधारण की शिकायत सुनने एवं शिकायत पत्र के लिए एक शिकायत कोषांग का गठन किया गया है। उप सचिव (स्थापना) को वरीय प्रभारी के रूप में अभिहीत किया गया है।

प्रत्येक शनिवार को आयुक्त एवं सचिव द्वारा जन शिकायत से संबंधित मामलों की सुनवाई की जाती है।

1.11 मुख्य कार्यालय विभिन्न स्तरों पर कार्यालयों के पते

(क) ग्रामीण विकास विभाग, मुख्य सचिवालय, पटना।
(ख) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण – जिला मुख्यालय में।
(ग) प्रखण्ड विकास कार्यालय – प्रखण्ड स्तर में।

1.12 कार्यालय खुलने का समय :

मार्च से अक्टुबर 10.00 बजे सुबह एवं नवम्बर से फरवरी तक 10.30 बजे सुबह। कार्यालय के बन्द होने का समय : 5.00 बजे सांय।